रजिस्ट्रेषन संख्या :— R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :— के पी सिटी— 67/2021—23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा—विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :—
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर—208014
सम्पर्क सूत्र :— 9450153215, 9415074806, 9415486103

वर्ष — 44 ● अंक — 5 ● कानपुर 1 से 15 मार्च 2022 ● प्रधान सम्पादक — डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

B.E.M.S./M.D.E.H. पर

रोक आज भी बरकरार

25 नवम्बर 2003 के अनुसार 1998 के पश्चात जारी वैध नहीं

प्रदेश में प्रैक्टिस के लिये शासनादेश के अनुसार

ज़िला पंजीयन आवशयक

बिना पंजीयन के प्रैक्टिस न्यायालय की अवमानना

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 18—11—1998 का वह ऐतिहासिक आदेश जिसमें डिग्री जारी करने पर रोक लगा दी गयी थी इसके बावजूद डिग्रियाँ जारी करने का क्रम आज भी जारी है, इस आदेश में महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें बी0ई0एम0एस0 डिग्री का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है, सन् 1998 से लेकर आज तक इस डिग्री का पूर्ण नाम अलग—अलग स्थान पर अलग—अलग दर्शाया जाता रहा है देखिये एक बानगी :— जब डिग्री जारी करने पर प्रतिबन्ध की बात की जाती है तो इसे डिपलोमा/प्रमाण पत्र कह दिया जाता है अब तो इसे बेसिक.. कई बार इसका उपहास भी किया जा चुका है और तो और अन्तर विभागीय समिति जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की संस्तुतियों के लिए गठित है उसने भी बी0ई0एम0 एस0 डिग्री /प्रमाण पत्र पर अपनी टिप्पणी की है।

विदित हो कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 18 नवम्बर, 1998 को एक जनहित याचिका संख्या 4015/96 में केन्द्र सहित सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्या के समाधान के लिए कानून बनाने के लिए निर्देश दिये गये थे और सरकार ने अपने पुराने ढर्रे पर कायम रहते हुये कानून बनाने में कोई रूचि नहीं दिखायी, और तो और एक अन्य वाद में केन्द्र सरकार द्वारा अपील की गयी जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जनहित याचिका में दिये गये आदेश को गम्भीरता से लिया (अब तो मजबूरी थी) केन्द्र सरकार ने आनन—फानन में माननीय सुप्रीमकोर्ट के निर्देश का पालन करने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया जिसमें माननीय न्यायालय के कानून बनाने के निर्देशों की अनदेखी करते हुए मान्यता हेतु लाम्बित पड़े हुए प्रस्तावों को प्राथमिकता देते हुए समिति की संतुतियों को स्वीकार करते हुए 25 नवम्बर, 2003 को एक आदेश फटाफट जारी कर दिया, जिसमें राज्य सरकारों सहित केन्द्र शासित प्रदेशों को भी निर्देशित किया है कि गैर मान्यता प्राप्त पद्धतियों को बैचलर व मास्टर डिग्री/डिपलोमा देने से रोका जाये तथा **Dr.** शब्द का प्रयोग केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा ही किया जाये, सरकार के इस आदेश का व्यापक स्तर पर प्रचार भी किया जाये।

सरकार के इस आदेश को समाचार पत्रों ने इस प्रकार प्रकाशित किया जिससे पूरे देश में शून्यता की स्थिति पैदा हो गयी जबकि वास्तव में इस आदेश में रोक जैसी कोई स्थिति ही नहीं थी।

18 नवम्बर, 1998 के इस आदेश का अनुपालन करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने भी जो संस्तुतियां दी हैं उसने भी पूर्णकालिक **बैचलर व मास्टर डिग्री जारी करने पर रोक की बात कही है** इसके बावजूद लगातार यह क्रम आज भी जारी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की संस्थाओं एवं चिकित्सकों के विरूद्ध जब कोई कार्यवाही होती है तो इन्हीं संस्तुतियों का संज्ञान लिया जाता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई प्राविधान न होने के बावजूद भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं एवं चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही हो जाती है और इनके विरूद्ध प्रमुखता से मेडिकल काउन्सिल एक्ट की धारायें लगायी जाती हैं यदा कदा होम्योपैथी एक्ट का भी प्रयोग कर लिया जाता है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।

- ✓ B.E.M.S. कभी बन जाती है डिग्री तो कभी डिपलोमा और अब बेसिक
- ✓ जब फंसने लगते हैं तो डिग्री बन जाती है प्रमाण पत्र अब है बेसिक
- ✓ हाईकोर्ट ने पहले ही डिग्री प्रदान करने में लगा रखी है रोक
- ✓ कुछ शीर्ष संस्थायें आज भी कर रही हैं न्यायलय के आदेश का उल्लंघन
- ✓ ऐसी संस्थायें ही बन रही हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में बाधक
- ✓ सरासर हो रहा है मा0 सुप्रीमकोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेशों का मज़ाक

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थायें जो बी0ई0एम0 एस0 व एम0डी0ई0एच0 पाठ्यक्रम संचालित कर रही हैं वह **कहीं न कहीं परोक्ष रुप से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ—साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी अवमानना कर रही हैं** क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील योजित की गयी थी जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसने सरकार को संस्तुति की कि पहले से मान्यता प्राप्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों अर्थात आयुर्वेद, युनानी, नेचुरोपैथी, योगा, सिद्धा एवं होम्योपैथी के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने की संस्तुति नहीं की जा सकती है क्योंकि यह आवश्यक मापदण्ड पूरे नहीं करती हैं **ऐसी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को पूर्णकालिक बैचलर व मास्टर डिग्री जारी करने से रोका जाये तथा डाक्टर शब्द का प्रयोग पहले से मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा ही किया जाये** समिति की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया तथा दिनांक 25 नवम्बर, 2003 को इनके क्रियान्वयन हेतु आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया गया कि सरकार के इस निर्णय का **व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाये तथा उनके अधिकार क्षेत्र में संचालित ऐसी गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि यह संस्थायें डिग्री / डिपलोमा न जारी करें और....**

और अगले अंक में

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस पर कोई भी रोक नहीं

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा डा0 बी0 एम0 कटोच पूर्व स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार एवं पूर्व महानिदेशक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित इन्टर डिपार्टमेन्टल कमेटी की 27 मई, 2019 की संस्तुतियों को 3 जुलाई, 2019 को सरकार द्वारा जारी करते हुए स्पष्ट किया गया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई रोक नहीं है तथा राज्य सरकारें अपने–अपने राज्यों में इसके लिए कानून बना सकती हैं उन्होंने यह भी कहा था कि मापदण्ड पूरे होने पर केन्द्र सरकार इसे मान्यता प्रदान कर देगी।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है राज्य सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए पहले ही बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर चुकी है, इस शासनादेश के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा भी क्रमशः 2 सितम्बर, 2013 एवं दिनांक 14–3–2016 को प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/अपर निदेशकों को शासन द्वारा जारी आदेश के परिचालन हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

इन्टर डिपार्टमेन्टल कमेटी की बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त डा0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्री विजय वर्मा संयुक्त सचिव विधिक मामलात, कानून एवं न्याय मन्त्रालय, डा0 भूषण पटवर्धन वाइस चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन, डा0 राजा बाबू पनवार कुलपति राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइन्सेज़, डा0 दर्शन शंकर कुलपति ट्रान्स डिसिपिलेनरी यूनिवर्सिटी बंगलूरू, वैद्य गोविन्द वाई खाती, डीन– आर0 ए0 पोद्दार मेडिकल कालेज (आयुष) महाराष्ट्र सरकार मुम्बई, श्री रजत चटोपाध्याय प्रेन्सिपल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटर, दि कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री डी0 बी0 के0 राव उप सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नई दिल्ली, डा0 एल0 स्वास्तिचरन सीनियर सी0 एम0 ओ0 डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, मो0 मुकीम उप विधि सलाहकार कानून एवं न्याय मन्त्रालय, डा0 एस0 पी0 शानी डिप्टी ड्रग्स कन्ट्रोलर (भारत)।

डा0 कुलदीप तिवारी, डा0 प्रीति मनचन्दा एवं श्री अनिल वर्मा नई दिल्ली, डा0 अजीत सिंह पंजाब, डा0 ए0 पी0 मौर्या पश्चिम बंगाल, डा0 बाहुबली शाह एवं डा0 सुरेश बाबू केरल, डा0 संजीव शर्मा हिमांचल प्रदेश, डा0 कमलाकान्त नायक ओडीशा, डा0 के0 ए0 बख्शी आन्ध्रप्रदेश, डा0 आर0 पी0 शर्मा उत्तर प्रदेश एवं डा0 दीपक सिन्हा कानपुर आदि सम्मिलित थे।

इन्टर डिपार्टमेन्टल कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के लिये बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा सम्बद्ध संस्थानों एवं अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्यों/ संचालकों की एक बैठक बोर्ड के कार्यालय लखनऊ में आयोजित की गयी थी जिसमें गम्भीर विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकला कि भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के लिये तत्पर है, यह दुर्भाग्य है कि समिति के समक्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो भी विद्वान उपस्थित हुये उन्होंने सूचनाओं एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत करने में संकोच किया या किसी रणनीति के तहत इन्टर डिपार्टमेन्टल कमेटी को साक्ष्य एवं सूचनायें उपलब्ध नहीं करा पाये, यह तो इन्टर डिपार्टमेन्टल कमेटी के समक्ष उपस्थित प्रपोज़लकर्ता ही वास्तविकता बता सकते हैं, प्रपोज़लकर्ताओं ने साक्ष्य क्यों नहीं उपलब्ध कराये ! कमेटी के सभी सदस्यों ने प्रपोज़लकर्ताओं को सुनने के पश्चात अपनी जो टिप्पणियां की हैं वह पूर्ण रुपेण सकारात्मक हैं जहाँ कुछ सदस्यों ने अनुसंधान हेतु धनराशि (फण्डिंग) की बात भी कही है तो वहीं कुछ सदस्यों ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को अपने संस्थानों में काम का अवसर देने की भी बात की है, ऐसे सदस्यों का यह भी मत है कि इन्टर डिपार्टमेन्टल कमेटी को वांछित आंकड़े (डेटा) स्वतः उपलब्ध हो जायेगें जिससे इस महत्वपूर्ण जनोपयोगी चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी मान्यता प्राप्त हो जायेगी।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 18 नवम्बर, 1998 में इलेक्ट्रो होम्यापैथी की प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगायी है बल्कि उसने प्रैक्टिस हेतु दिशा निर्देश, डिपलोमा /प्रमाण पत्र तथा Dr. (डाक्टर) शब्द लिखने को सरकार द्वारा विचार करने हेतु निर्देश दिये हैं।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश,लखनऊ की परीक्षायें दिनांक 22 मार्च, 2022 से

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा संचालित क्रमशः **G.E.H.S., P.G.E.H., M.B.E.H. 2nd. Professional.** एवं **M.B.E.H. Final professional.** की वार्षिक परिक्षायें व **F.M.E.H.** की सेमेस्टर परक्षिाओं के अतिरिक्त **A.C.E.H.**की परीक्षायें भी होंगी, ज्ञातव्य हो कि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा पूर्व में संचालित **M.B.E.H. Professional** व **M.D.E.H.** पाठ्यक्रम बन्द हो चुका है केवल **M.B.E.H.** के पुराने ऐसे छात्रों व छात्राओं के लिये ही बोर्ड द्वारा अनुमति दी गयी है जो किन्हीं कारणोंवश अपना कोर्स समय से पूर्ण नहीं कर सके थे वे अब पूर्ण कर लें।

छात्रों/छात्राओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये यह तय हुआ है कि ऐसे छात्र जो **G.E.H.S.** कोर्स करने के इच्छुक हैं वे **M.B.E.H. Final** की परीक्षा उत्तीण करने पश्चात सीधे **G.E.H.S. Final** में **Lateral Entry** के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं विदित हो कि स्वास्थ्य से सम्बंधित कोई भी कोर्स शासन द्वारा अब चार वर्ष से कम अवधि का संचालित नहीं है।

सरकार के नियमों का सम्मान करते हुये बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने छात्र हितों को सर्वोपरी मानते हुये इलेक्ट्रो होम्यापैथी का नया कार्स अप्रैल 2018 से **G.E.H.S.** व **P.G.E.H.** के नाम से संचालित किया है **M.D.E.H.** पाठ्यक्रम के स्थान पर अब **P.G.E.H.** का दो वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसे **G.E.H.S.** पूर्ण करने के पश्चात किया जा सकता है परन्तु **P.G.E.H.** आप तभी कर सकते हैं जब आप एक वर्ष की इन्टर्नशिप सफ़लता पूर्वक पूर्ण कर लेंगे,चूँकि **G.E.H.S.** कोर्स की अवधि ही 4+1 है जिसमें चार वर्ष थ्योरी एवं एक वर्ष इन्टर्नशिप करना आवश्यक है,इन्टर्नशिप के लिये **G.E.H.S.** फाइनल करने के पश्चात छात्र/छात्रा को एक वर्ष तक जिन संस्थानों में **O.P.D.** की सुविधा है वहां से एक वर्ष तक इन्टर्नशिप करने के बाद अपने संस्थान में **P.G.E.H.** कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं, जहाँ पर **O.P.D.** की सुविधा नहीं है वहाँ के छात्र/ छात्रायें संस्थान से सम्बद्ध किसी चिकित्सालय से एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण कर सकते हैं।

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001
E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION March 2022

Name of the course	22nd March, 2022 Tuesday		23rd March, 2022 Wednesday		24th March, 2022 Thursday		25th March, 2022 Friday
	1st. Meeting	2nd. Meeting	1st. Meeting	2nd. Meeting	1st. Meeting	2nd. Meeting	1st. Meeting
M.B.E.H. 2nd. Professional	Pathology 1st.	Pathology 2nd.	Hygiene & Health	Med. Jurisprudence & Toxicology	Materia Medica	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.
M.B.E.H. Final Professional	Midwifery & Gynaecology1st.	Midwifery & Gynaecology2nd.	Opthalmology incl. E.N.T. 1st.	Opthalmology incl. E.N.T. 2nd.	Materia Medica	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.
G.E.H.S.1st. Professional	Anatomy1st.	Anatomy 2nd.	Physiology incl Bio-Chem. 1st.	Physiology incl Bio-Chem. 2nd.	Pharmacy	Philosophy	XX
G.E.H.S.2nd. Professional	Pathology incl. Micro.-Bio. 1st.	Pathology incl. Micro.-Bio. 2nd.	Forensic Science & Toxicology	Materia Medica	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.	XX
G.E.H.S.3rd. Professional	Obstetrics & Gynaecology1st.	Obstetrics & Gynaecology 2nd.	Opthalmology incl. E.N.T. 1st.	Opthalmology incl. E.N.T. 2nd.	Environmental Scince	Materia Medica	XX
G.E.H.S.Final Professional	Materia Medica & Therapeutics	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.	Surgery	Physical & Health Education	XX	XX
P.G.E.H.1st. Professional	Pharmacy	Philosophy	Materia Medica 1st.	Materia Medica 2nd.	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.	XX
P.G.E.H.Final Professional	Materia Medica 1st.	Materia Medica 2nd.	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.	XX	XX	XX
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy& Physiology	XX	Pharmacy& Philosophy	XX	XX	XX	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	XX	Hygiene & Health	XX	Environmental Scince	XX	XX
F.M.E.H. 3rd. Semester	Opthalmology including E.N.T.	XX	Med. Jurisprudence & Toxicology	XX	Dietetics	XX	XX
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	XX	Materia Medica	XX	Practice of Medicine	XX	XX
A.C.E.H.	Anatomy& Physiology	XX	Pharmacy-Philosophy & Materia Medica	XX	Pathology-Hygiene & Health M.Jrisprudence&Toxicology	XX	Midwifery-Gynics-Opthalmology incl. E.N.T. & Practice of Med.

Timing < 1st. Meeting : 8:00 A.M.to 11:00 A.M.
2nd. Meeting : 2:00 P.M. to 5:00 P.M.

Ateeq Ahmad
Examination Incharge

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के 500 लेक्चर सम्पन्न

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित शिक्षक श्री अनिल श्रीवास्तव के 500 लेक्चर यू–ट्यूब पर सफ़लतापूर्वक प्रसारित होने पर बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 बधाई देता है, यह सूचना बोर्ड के प्रभारी जनसम्पर्क श्री मिथलेश कुमार मिश्रा ने दी, श्री मिश्रा ने बताया कि इन लेक्चरों से प्रदेश ही नहीं वरन् देश एवं विदेश के अनेकों इलेक्ट्रो होम्योपैथों के अतिरिक्त जनसाधारण को भी लाभ मिला है।

विदित हो कि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा सम्बद्ध संस्थान एवं अध्ययन केन्द्र भी आन लाइन प्लेटफार्म से क्लासेज़ चला रहे हैं जिसमें डा0 राकेश कुमार र्मा लखीमपुर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

आखिर बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की अन्तर विभागीय समिति I.D.C. में सहभागिता क्यों नहीं ?

क्योंकि

अन्तर विभागीय समिति द्वारा जो अनुशंसा की जाने की सम्भावना है उसके अनुपालन में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो अधिशासी आदेश जारी किया जायेगा, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का आदेश सं0 C.30011/22/2010-HR Dated 21-06-2011 उसी रुप में पहले से ही उपलब्ध है।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)

8— लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001
प्रशा0 कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर—208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) — इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) — 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

P.G.E.H. दो वर्ष — G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

C.E.H. एक वर्ष — हाई स्कूल अथवा समकक्ष

A.C.E.H. एक सेमेस्टर — किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/ सूचीकृत चिकित्सक)

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें अथवा **www.behm.org.in पर log in** करें।

LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS

Code	Name of InstituteAddress & District	Name of Principal	Name of Manager & Mobile No.
1	Ashish Electro Homoeopathic Medical Insitute, Chajlapur, Po: I.T.I.,Door Bhash Nagar, Raibareli	Dr. P. N. Kushwah	Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119
3	Awadh Electro Homoeopathic Medical Insitute, Shri Om Sai Dham,Indrpuri Colony,Sitapur Road, Lucknow	Dr. R. K. Kapoor	Smt. Sunita Kapoor , 8299165010
4	Indira Gandhi Electro Homoeopathic Medical Insitute, Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh	VACANT	VACANT
5	Bhagwan MahaveerElectro Homoeopathic Insitute, Pan Dareeba, Jaunpur	Dr. Pramod Kumar Maurya	Smt. Sushila Maurya , 9451162709
6	Maa sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Insitute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur	Dr. R. K. Sharma	R.K. Sharma , 8115545675
7	Mahoba Electro Homoeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427	Dr. Ajai Barsaiya	Smt. Rajni Awasthi , 8423596191
11	Chandpar Electro Homoeopathic Medical Insitute, Anjan Shaheed, Azamgarh	Dr. Mushtaq Ahmad	Dr. Iftekhar Ahmad,9415358163
13	Azad Electro Homoeopathic Medical Insitute, Kintoor, Barabanki	Dr. Habib-ur- Rahman	Dr. Habib-ur-Rehman, 8052791197
14	Fatehpur Electro Homoeopathic Medical Insitute, Deviganj, Fatehpur	VACANT	Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981
15	Electro Homoeopathic Medical Insitute , Mahmanshah, Near Charkhamba,Shahjahan pur	Dr. Ammar-Bin-Sabir	Dr.S.A. Siddique, 9336034277
16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Insitute , Behind Mahila Hospiital, Dihawa Bhadi,Shahganj, Jaunpur	Dr. S. N. Rai	Dr. Rajendra Prasad, 9450088327
17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute, Siddhatth Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar	Dr. Ved Prakash Srivastav	Dr. V.P. Srivastav 9415669294

LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
51	Dr. Adil M. Khan	Parsauni Kala,Padrauna	KUSHI NAGAR	9836131988	WhatsApp No: 7985063850
52	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8/366 Tube Well Colony	DEORIA	9415826491	
53	Dr. Bhoop Raj Shrivastava	120-Basheerganj	BAHRAICH	9451786214	
55	Dr. Ayaz Ahmad	Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur	MAU	9305963908	
56	Dr. Gaya Prasad	Aarti Electro Homoeopathic Study Centre, Barkhera, Kalpi	JALAUN	8874429538	
57	Dr. N. Bhushan Nigam	B.K.E.H. Study Centre, Patkana	HAMIRPUR	9889426312	
59	Dr. Mohammad Israr Khan	Araw Road, Sirsaganj	FIROZABAD	9634503421	
60	Dr. Mohd. Akhlak Khan	128- Katra Purdal Khan	ETAWAH	7417775346	
61	Dr. Shiv Kumar Pal	Prem Nagar, Dak Banglow Bye Pass Road	FIROZABAD	9027342885	
62	Dr. Pundreek Tripathi	Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa	MAHARAJGANJ	7398941680	mpsr31@gmail.com
63	Dr. Ram Autar Kushwaha	Kushwaha Electro Homoeopathic Clinic & Study centre	KANPUR	9793261649	

LIST OF AUTHORISED STUDY/GUIDENCE CENTRES OTHER STATE

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
81	Dr. Devendra Singh	374/4 Shahid Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090	9818120565	9873609565
82	Dr. Pankaj Kumar	Kaithi P.S. Chautham	KHAGARIA-851201	7549417934	

LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
91	Dr. P. K. Ragahav	Khurja	BULAND SHAHAR	9837897021	
92	Dr. S.K. Saxena	Parker College Road	MORADABAD	8171869605	
93	Electro Homoeopathic Exam	Registrar B.E.H.M. U.P. Kanpur Campus	KANPUR	0512-2970704	
95	Dr. Vikas	303/6 Gyan Nagar, Purkhas Road	SONIPAT-131001	9639300426	7302653934

Registrar

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर—208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर—208014 से प्रकाशित किया।